कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 825 /रेनुकूट /15–7 दिनांक, रेनुकूट,सितम्बर, 09, ,2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–मीरजापुर, सोनभद्र व वाराणसी में 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित 319.28 हे0 वन भूमि (रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित 98.28 हे0) के लीज का आगामी 30 वर्षो के नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/32650/2018 उपलब्ध कराने के संबंध में ।

संदर्भः– 1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 1698/11–सी, FP/UP/TRANS/32650/2018 लखनऊ दिनांक– 14.01.2021
2–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक– 2966/मी0/33 दिनांक– 15.01.2021
3–प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग का पत्रांक–1795/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–15.01.2021
4–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 2529/रेनुकूट/15–7 दिनांक– 29.01.2021
5–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल हाइडिल कालोनी–गाजीपुर का पत्र संख्या– 241 /वि0प्रे0ख(गा) दिनांक– 15.02.2021
6–इस कार्यालय का पत्रांक– 2779/रेनुकूट/15–7 दिनांक– 15.02.2021
7–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल हाइडिल कालोनी–गाजीपुर का पत्र संख्या– 298/वि0प्रे0ख–मा0/ दिनांक– 23.02.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 14.01.2021 द्वारा विषयगत नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में प्रभागवार आपत्तियॉ इंगित करते हुए उसके निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल हाइडिल कालोनी–गाजीपुर से संशोधित लागत लाभ विश्लेषण की प्रतियॉ प्राप्त कर रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित बिन्दुओ पर आख्या निम्नानुसार आवश्यक अभिलेखो सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 1698/11–सी, FP/UP/TRANS/32650/2018 लखनऊ दिनांक– 14.01.2021 में अंकित बिन्दुओ का विवरण ।	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाईन के अनुसार पारेषण लाइन हेतु इसकी आवश्यकता नही है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता को प्रस्ताव से पृथक करा दिया गया है ।
2	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षरोपरान्त आपके

	संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	कार्यालय में जमा किया गया है जिसकी छाया प्रति पुनः इस पत्र के साथ **संलग्न कर प्रेषित है** ।
	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से डिलीट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक– 15.02.2021 द्वारा सही हरियाली धनत्व के अनुसार संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है जिसे सत्यापित करते हुए इस पत्र के साथ **संलग्न है** । प्रमाण–पत्र को ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है ।
4	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संबंधी प्रमाण–पत्र **संलग्न है** ।
5	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के संबंध में वांछित **प्रमाण–पत्र संलग्न है** ।
6	प्रस्ताव में उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु ब्याज की गणना अद्यतन नहीं की गयी है तथा गणना भी त्रुटिपूर्ण है इसके अतिरिक्त दण्डात्मक एन0पी0वी0 लिए जाने का कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से डिलीट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत नवीनीकरण प्रस्ताव, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लीज समाप्ति की तिथि दिनांक–22.02.2014 के उपरान्त प्रभाग में दिनांक–21.03.2014 को उपलब्ध कराया गया था । उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में कतिपय कमियॉ एवं अभिलेखो का अभाव पाये जाने के कारण आज तक उसके निराकरण किये जाने में विलम्ब होने पर प्रभाग द्वारा एन0पी0वी0 की दण्डात्मक गणना प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है । संशोधित गणना प्रमाण–पत्र संलग्न है जिसे ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है ।
7	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से अनुरोध किया गया था किन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराते हुए दण्डात्मक एन0.पी0वी0 न लगाने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र दिनांक– 23.02.2021 की छाया प्रति **संलग्न है** ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र

संख्या– अ/समदिनांकित।

1–प्रतिलिपिः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2–प्रतिलिपिः अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल हाइडिल कालोनी–गाजीपुर, उ0प्र0 को उनके पत्र दिनांक– 15.02.2021 एवं 23.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभिलेखो को अपने सहायक अभियन्ता या अवर अभियन्ता के माध्यम से प्राप्त कराते हुंए प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग के कार्यालय में समेकित प्रस्ताव में संलग्न कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र